

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 638]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

क्र. 7515-348-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 दिसम्बर 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, २०१४

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ६ का संशोधन.
३. धारा ३३ का स्थापन.
४. धारा ४१ का संशोधन.
५. धारा ५३ का स्थापन.
६. धारा ५४ का संशोधन.
७. धारा ५९ का संशोधन.
८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४ है.
- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ में, उपधारा (३) में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यदि उपधारा (२) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर निरीक्षक द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाता है तो सम्यक् रूप से पंजीयन कर दिया गया समझा जाएगा.”

धारा ३३ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

आग तथा परिसंकोटों से बचाव के लिए पूर्वोपाय.

“३३. ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी को छोड़कर, जो कि विहित की जाए, प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव के लिए ऐसे पूर्वोपाय तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अधुपाय किए जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं.”

धारा ४१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि दस से कम कर्मचारी नियोजित हैं.”

धारा ५३ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अपराध का समझौता.

“५३. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्वधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो), कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, समझौता शुल्क के रूप में उतनी धन राशि, जो जुर्माने की अधिकतम धन राशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात्, समझौता करा सकेगा; जब अपराध का समझौता—

- (एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, कराया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् कराया जाता है तो समझौते से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

धारा ५४ का संशोधन.

“परंतु सरकार, आदेश द्वारा, ऊपर विहित प्ररूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखों को रखने के लिये समेकित प्ररूप बना सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

परंतु यह और कि सरकार पंजियों तथा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल रूपविधान (फार्मेट) में संधारित किया जाना, अनुज्ञात कर सकेगी.”.

७. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ड) में, शब्द “आग से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी” के स्थान पर “आग तथा परिसंकटों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी” स्थापित किए जाएं.

धारा ५९ का संशोधन.

८. (१) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ७ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई, बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 7517-348-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2014

THE MADHYA PRADESHS SHOPS AND ESTABLISHMENTS
(AMENDMENT ACT, 2014)

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 6.
3. Substitution of section 33.
4. Amendment of section 41.
5. Substitution of section 53.
6. Amendment of section 54.
7. Amendment of section 59.
8. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT
No. 21 OF 2014.

THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS
(AMENDMENT) ACT, 2014

[Received the assent of the Governor on the 29th December, 2014 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2014].

A Act further to amend, the Madhya Pradesh Shops and Establishment, Act, 1958.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act May be called the Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Bill, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 6.

2. In section 6 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (3), for the full stop occurring at the last place, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that if no adverse order is passed by the Inspector within the prescribed period from the date of submission of application under sub-section (2), then the registration shall be deemed to be duly granted.”.

Substitution of Section 33.

3. For Section 33 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Precaution against fire and hazards.

33. In every establishment except such establishment or class of establishment, as may be prescribed, such precaution against fire and such measures for ensuring health and safety of employees shall be taken as may be prescribed.”.

Amendment of Section 41.

4. In Section 41 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely :—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no Inspector shall exercise his powers, in an establishment where less than ten employees are employed, except with the permission of the Labour Commissioner or an officer so authorised by him,”.

Substitution of section 53.

5. For Section 53 of the principal Act, the following section shall be substituted namely:—

Composition of offence.

“53. Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, an officer authorized by the State Government in this behalf by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence committed for the first time or after expiry of a period of two years of commitment of previous offence (if any), either before or after institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee, as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine but not less than half of the maximum amount of fine for the offence as composition fee; when the offence is so compounded.

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender.”.

6. In Section 54 of the principal Act, for the full stop occurring at the last place, the colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 54.

“Provided that the Government, by order may devise or notify consolidated forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed above:

Provided further that the Government may allow the registers and records to be maintained in computerised or digital formats.”.

7. In Section 59 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (e), for the words “precautions against fire”, the words “precautions against fire and hazards” shall be substituted.

Amendment of Section 59.

8. (1) The Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 7 of 2014) is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.